मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा फिनिश्ड लेदर 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन किये जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, उन्नाव द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर दिनांक 28.06.2014 को सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त ।

मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा फिनिश्ड लेदर 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन किये जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, कानपुर संस्करण (हिन्दी)एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया, कानपुर संस्करण (अंग्रेजी) में दिनांक 29.05.2014 को आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये गये थे तथा लोक–सुनवाई दिनांक 28.06.2014 को किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि विज्ञप्ति में उल्लिखित कार्यालयों (जिलाधिकारी कार्यालय, उन्नाव, कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव, कार्यालय जिला पंचायत, उन्नाव, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव) में जमा करने हेतु प्रकाशित कराया गया था, परन्तु उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में कोई आक्षेप, सुझाव, आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है।

लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर की गयी, जिसमें निम्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थें।

1. श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव।
2. डा0 राम करन, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उन्नाव।
3. श्री जे0 एस0 यादव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव।
4. श्री हरिपाल सिंह यादव, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उन्नाव।
5. श्री धर्मेन्द्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव सपा युवा सभा, उन्नाव एवं इनके अतिरिक्त लोक सुनवाई में आस–पास की जनता जिनकी संख्या 112 थी।

मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा फिनिश्ड लेदर 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन किये जाने हेतु प्रेषित आवेदन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर उनके अनुमति से प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई की कार्यवाही का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी, डा0 राम करन ने उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं आम जनता का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर लोक–सुनवाई की प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक है। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा फिनिश्ड लेदर 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन किये

2/–

जाने हेतु किया गया है। राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु आवेदक के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजीव भार्गव, मेसर्स परफेक्ट इन्वायरो सौल्यूशन्स प्रा० लि०, नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया। आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के दौरान निम्नवत् प्रकाश डाला गया:–

1. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि मेसर्स ए०के०आई० इण्डिया प्रा० लि०, 415/4, खसरा नं० 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ई०आई०ए० (इन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट) रिपोर्ट के अनुसार जिसका क्षेत्रफल 6580 वर्ग मी० है। उक्त स्थल पर 60 हाइड/दिन की क्षमता का चर्म–शोधन कारखाना वर्ष 2001 से संचालित है, जिसका पूर्व नाम मे० ए० एन० लेदर था। मे० ए० एन० लेदर से पूर्व उक्त उद्योग का नाम मे० बुखारा चर्म शोधन कारखाना था। उक्त उद्योग स्थल पर वर्तमान में 60 हाइड/दिन क्षमता का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में उद्योग उक्त उत्पादन क्षमता पर संचालित है। प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु ई०टी०पी० स्थापित है। उक्त कारखाना ई०आई०ए० अधिसूचना वर्ष 2006 के पूर्व से स्थापित एवं संचालित है।
2. प्रथमतः उक्त भूमि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री चतुर्भुज अग्रवाल को आवन्टित थी। उन्होंने यह भूमि दिनांक 31.01.78 को श्रीमती खैरुन्निसा पत्नी श्री मो० अब्दुल सत्तार निवासी 31–बी कोलोटोला, कलकत्ता को बेच दिया। उनके द्वारा बुखारा चर्मशोधन कारखाने की स्थापना की गई। श्रीमती खैरुन्निसां ने यह जमीन दिनांक 19.09.2000 को श्रीमती आयशा बानू पत्नी श्री अब्दुल हसन निवासी 172/34 मो० असी लेन अमीनाबाद, लखनऊ और श्रीमती साजिदा बानू पत्नी श्री सिराजुल हक, निवासी 153/9 रकाबगंज, लखनऊ को बेच दिया और बुखारा चर्मशोधन कारखाने का नाम बदल कर मेसर्स ए० एन० लेदर कर दिया गया। श्रीमती आयशा बानू और श्रीमती साजिदा बानू ने यह भूमि गाटा सं० 729 रकबा 0.0380 हे० एवं भूमि गाटा सं० 1006 रकबा 0.620 हे० दिनांक 23.05.2011 को मेसर्स ए० के० आई० इण्डिया प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर, श्री अनवर कमाल ईराकी को बेच दिया। भूमि गाटा सं० 1006 रकबा 0.620 हे० दिनांक 23.06.2007 एवं भूमि गाटा सं० 729 रकबा 0.0380 हे० दिनांक 08.10.2012 को भूमि प्रयोग (143) सक्षम अधिकारी द्वारा बदल दिया गया।

   प्रस्तावक मेसर्स ए०के०आई० इण्डिया प्रा० लि० चर्मशोधक इकाई की क्षमता 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन करना चाहता है, जिसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। ई०आई०ए० अधिसूचना सं०–1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुसार परियोजना औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित है। अतः परियोजना अनुसूची 4 (i) के अन्तर्गत श्रेणी ए में आता है।
3. उक्त स्थल पर उद्योग मेसर्स ए०के०आई० इण्डिया प्रा० लि० की स्थापना हेतु कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव द्वारा दिनांक 16.07.2011 को पंजीयन किया गया है तथा उद्योग में क्षमता विस्तारीकरण हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 26.11.2013 को जारी किया गया है।
4. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय पशुचर्म इकाई के विस्तार हेतु (कच्चे पशुचर्म से अन्तिम चमड़ा के निर्माण हेतु) टी.ओ.आर. संख्या J-11011/128/2013-IA-II(I), दिनांक 10.09.13 के अन्तर्गत टी.ओ. आर. निर्गत कर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जन सुनवाई हेतु सुझाव दिया है। जन सुनवाई हेतु, ई०आई०ए० प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को 11.02.14 को प्रेषित कर दी गई।
5. आवेदक के प्रतिनिधि ने चर्म शोधन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया, उन्होंने अवगत कराया कि उद्योग में कच्चे पशुचर्म को चमड़े में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को चर्मशोधन कहते हैं। कच्चे पशुचर्म को पहले पानी में भिगोया जाता है, जिससे कि नमक और अन्य असंगत तत्व जो पशुचर्म से संलग्न रहते हैं, उनको पृथक किया जा सके। अवशोषण से पशुचर्म के रिहाइड्रेशन में मदद मिलती है। अवशोषण के पश्चात् पशुचर्म को फूलने के लिये चूने के पानी में डाल दिया जाता है। चूने के पानी में भीगी पशुचर्म से बाल व मांस को निकाला जाता है, जिसके साथ–साथ अतिरिक्त चूने को डिलाइमिंग कर निष्क्रिय कर दिया जाता है। डिलाइमिंग के बाद हाइड्स को

–3/–

पहले ब्रश किया जाता है और अधिकांश मात्रा में साधारण नमक को निकालने के लिये हाथ से हाइड्स को झाड़ा जाता है। डिलाइमिंग के पश्चात् हाइड्स को धोया जाता है और नमकीन बनाने के लिये भेजा जाता है। हाइड्स को नमकीन बनाने के साथ–साथ मौलिक क्रोम सल्फेट का प्रयोग करके क्रोम टैनिंग किया जाता है। चर्मशोधन के पश्चात् हाइड्स को निष्क्रिय किया जाता है, जिसके साथ साथ सर्वेइंग, स्पिलिटिंग, रि टैनिंग, फैट लिकरिंग और डाईंग का कार्य किया जाता है। कच्चे हाइड्स को चर्मशोधित करने की यह परिष्कृत प्रक्रिया शुष्क है, जिसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है।

6. औद्योगिक प्रक्रिया से जनित (570 किलो0/दिन) उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उद्योग में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (क्षमता 600 किलो0/दिन) स्थापित किया जायेगा। क्रोम रिकवरी हेतु उद्योग में क्रोम रिकवरी यूनिट की स्थापना की जायेगी।
7. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि चमड़े के गुच्छे से VOCs, सल्फाइड, अमोनिया, धूल इत्यादि भिन्न क्रियाओं से निकलती है। डी0जी0 सेट एवं ब्वायलर से NO_x, SO_2 अथवा PM गैस निकलती है, डी0जी0 सेट से उत्पन्न वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु एकास्टिक इन्कलोजर एवं 4.5 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित की जायेगी। ब्वायलर से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु मल्टी साइक्लान डस्ट कलेक्टर एवं 32 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित की जायेगी।
8. वर्तमान में चर्मशोधन इकाई से 0.9 टी0पी0डी0 औसत प्रोसेस वेस्ट (फलैसिंग, शेविंग, ट्रिमिंग) उत्पन्न होता है और इस अपशिष्ट का वाणिज्यिक मूल्य होने के कारण इसे अन्तिम उपयोगकर्ता को दे दिया जाता है। विस्तार के पश्चात् 15.6 टी0पी0डी0 प्रोसेस वेस्ट (फलैसिंग, शेविंग, ट्रिमिंग) उत्पन्न होगा जिसे अन्य उपयोगकर्ताओं (रिसायकलर्स) को बेच दिया जायेगा।
9. आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
10. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अंतर्गत चर्मशोधन गतिविधियों के दौरान निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है :–

9.1 परियोजना स्थल पर आपात की स्थिति में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। उद्योग में एक सुरक्षित बैडयुक्त कमरे की स्थापना की जायेगी तथा एक अनुभवी डाक्टर की नियुक्ति की जायेगी। उद्योग द्वारा प्रत्येक तीन माह में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

9.2 उद्योग द्वारा श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिससे उन्हें काम करने के तरीकों के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

9.3 उद्योग द्वारा भूजल के लगातार दोहन को बैलेन्स करने हेतु उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

9.4 ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु मशीनरी क्षेत्र, कैन्टीन इत्यादि में बन्द दरवाजे लगाये जायेंगे।

9.5 गाड़ियों व मशीनरी का रखरखाव इस प्रकार किया जायेगा कि इसकी निस्पादन क्षमता उच्चतम हो और हानि न्यूनतम हो।

9.6 ध्वनि स्तर को कम करने हेतु उद्योग में 30 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट विकसित किया जायेगा।

9.7 गंध हेतु उद्योग को हवादार बनाया जायेगा, जिससे गंध क्षेत्र की वायु को निकाला जायेगा। कच्चे ठोस अपशिष्ट की सड़न दुर्गन्ध का कारण है। नमी वाले नमकीन चर्म को विशेष तौर पर गर्मी में दुर्गन्ध को रोकने हेतु शीतलन उपकरण लगाये जायेंगे, जिसका तापमान 30 डिग्री से कम रहेगा।

9.8 सल्फाइडयुक्त चर्म को तेजाब से उपचार किया जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न होती है। यह डिलाइमिंग क्रिया में होती है और जब खार के गुण वाले तेजाब से उपचार किया जाता है। इससे बचने हेतु डिलाइमिंग को बन्द पात्र में किया जायेगा ताकि H_2S एवं अमोनिया को निकलने से रोका जा सके।

9.9 विस्तारीकरण हेतु जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

—4/—

11. आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना के लाभ के बारे में अवगत कराया कि यह परियोजना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय युवकों को रोजगार उपलब्ध करायेगा। उद्योग द्वारा लगभग 57.32 प्रतिशत उपचारित जल को पुनः प्रयोग में लाया जायेगा। चर्म उद्योग एक विशाल और बढ़ती हुआ घरेलू कारखाना है। इससे आर्थिक लाभ होगा क्योंकि यह एक निर्यात वाला उत्पादन है। क्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट एक प्रकार का उपोत्पाद है और इसको चर्म मण्डल निर्माता, गोंद, कुत्तों के खाने की सामग्री बनाने वालों को बेच दिया जाता है। राज्य को टैक्स के रूप में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
12. आवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था परियोजना में समावेशित है।पर्यावरण के सभी घटकों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं सामाजिक–आर्थिक परिवेश पर सम्भावित अधिप्रभावों का आंकलन करते हुए सम्बन्धित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित प्रस्ताव पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन आख्या (इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट रिपोर्ट) में दिये गये हैं। इस प्रकार पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार समस्त पर्यावर्णीय घटकों का समग्र आंकलन धनात्मक अधिप्रभाव को इंगित करता है।

आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाले जाने के पश्चात् लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा परियोजना से आस–पास के विभिन्न पर्यावर्णीय घटकों के उपर पडने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं तथा उसके निराकरण हेतु आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये उपायों का विवरण निम्नवत है :–

प्रश्न–1 अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रारम्भिक चिकित्सा व्यवस्था के रूप में क्या किया जायेगा?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि परियोजना स्थल पर आपात की स्थिति में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। उद्योग में एक सुरक्षित बेडयुक्त कमरे की स्थापना की जायेगी तथा एक अनुभवी डाक्टर की नियुक्ति की जायेगी। उद्योग द्वारा प्रत्येक तीन माह में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

प्रश्न–2 अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न उठाया कि पर्यावरण बैलेन्स के लिये उद्योग द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी तथा कितना प्रतिशत ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जायेगा?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने हेतु कुल क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट/प्रदूषण रोधी पौधों का वृक्षारोपण किया जाये।

प्रश्न–3 अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न उठाया कि स्थानीय जनता हेतु उद्योग द्वारा क्या सुविधायें दी जायेंगी?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा दी जायेगी, गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान खुलवाया जायेगा। ग्रामीण वृद्ध जनों की सेवा तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा।

प्रश्न–4 अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न उठाया कि उद्योग में कार्य करने वाले कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था की जायेंगी?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग में कार्यरत् कार्मिकों को आई0एस0ओ0 के अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग करायी जायेगी।

प्रश्न–5 अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न उठाया कि औद्योगिक प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या व्यवस्था की जायेंगी?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग में स्थापित ब्वायलर में वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लान डस्ट कलेक्टर एवं 32 मी0 ऊँची चिमनी का निर्माण कराया जायेगा। डी0जी0 सेट से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु एकास्टिक एन्क्लोजर एवं निकटतम भवन छत से 4.5 मी0 ऊँची चिमनी की स्थापना की जायेगी।

प्रश्न–6 अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न उठाया कि वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था को कितने समय में बदला/सर्विस किया जाता है?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि ब्वायलर में वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लान डस्ट कलेक्टर को 05 वर्षों में बदला जाता है तथा बैग फिल्टर्स को प्रत्येक 03 माह में बदला जाता है।

प्रश्न–7 अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न उठाया कि औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकृत करने के पश्चात् कितना प्रतिशत भाग पुनः उपयोग में लाया जायेगा?

उत्तर– आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धीकृत करने के पश्चात् 57 प्रतिशत भाग को पुनः सिंचाई में उपयोग किया जायेगा तथा शेष भाग को उद्योग से निस्तारित किया जायेगा।

प्रश्न–8 श्री ए0 ए0 खान, निवासी–उन्नाव ने प्रश्न उठाया कि लोक सुनवाई की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है?

उत्तर– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव, डा0 राम करन ने अवगत कराया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थापित किये जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित की जाती है। अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है।

अन्त में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 राम करन द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उन्नाव एवं उपस्थित जन समूह के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई के समापन किया गया।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित इकाई के क्षमता विस्तारीकरण हेतु स्थल गाटा संख्या–415/4, खसरा नं0– 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव पर नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

संलग्नक – उपस्थिति एवं लोक सुनवाई की सी0डी0।

Karan 04/7/2014
(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
उन्नाव

7/22/2014
(शिवेन्द्र कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उन्नाव

जिलाधिकारी महोदया
उन्नाव

8289
11/8/14

BH 4/Rm
8/8/14

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बी–16, आवास विकास कालोनी,
उन्नाव

फो0/फै0–0515–2830486

पत्रांक स0– 1450/N.O.C./60/14

दिनांक– 07.08.14

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः– **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के तहत मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश द्वारा फिनिश्ड लेदर 60 हाइड/दिन से बढ़ाकर 1000 हाइड/दिन किये जाने हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु हुई लोक सुनवाई के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव की अध्यक्षता में उद्योग स्थल मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव में दिनांक 28.06.2014 को लोक सुनवाई आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवृत्त संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

EE
11/8/14

ND.
कृपया पर्यावरण निदेशालय को पत्र भेजें।
12/8/14

ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में 60 हाइड्स से 1000 हाइड्स प्रतिदिन के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति, लोक सुनवाई तिथि - 28-06-2014

लोक सुनवाई स्थल- मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव के कैम्पस में।

क्र0 सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री त्रिवेन्द्र कुमार सिंह	ए.डी.एम. उन्नाव	[illegible] 28/6/14
2.	जे.एस. यादव	जी.एम., डी.आई.सी. उन्नाव	[illegible]
3.	हरिपाल सिंह यादव	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उन्नाव	[illegible]
4.	डा. राम करन	क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नि. बोर्ड, उन्नाव	[illegible] 28/6/2014
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	बी.के. सिंह	सहा. पर्या. अभि. उ.प्र. प्रदूषण नि. बोर्ड उन्नाव	[illegible] 28/06/14
7.	Asad K. [illegible]	Akrampur - Unnao.	[illegible]
8.	क्षितीश पटेल, वैज्ञानिक	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन्नाव	[illegible] 28/6/14
9.	परेश कुमार, स. (अभियन्ता)	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [illegible]	[illegible] 28.06.14
10.	राज कुमार सिंह	राजेपुर पतारी उन्नाव	राज कुमार
11	बहादुर	आदर्श नगर बड़ी नहर, उन्नाव	बहादुर
12	बबलू	" "	बबलू
13	सुरेन्द्र	राजेपुर पतारी उन्नाव	सुरेन्द्र
14	जगदीश	परड़ी कला उन्नाव	जगदीश
15	रमेश	सुल्तान खेड़ा अकरमपुर	रमेश
16	वीरेन्द्र	राजेपुर पतारी उन्नाव	वीरेन्द्र
17	जीतलाल	राजेपुर पतारी उन्नाव	जीतलाल
18	जीतू	राजेपुर पतारी उन्नाव	जीतू
19	अमित कुमार	रामनगर (शुक्लागंज)	अमित कुमार
20	राजेश	राजेपुर पतारी उन्नाव	

...ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, ...व, उत्तर प्रदेश में 60 हाइड्स से 1000 हाइड्स प्रतिदिन के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल पर ...वरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति, लोक सुनवाई तिथि-28-06-2014

...क सुनवाई स्थल– *मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव के कैम्पस में।*

क्र0 सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
21.	विनोद कुमार	मल्लाह नगर पतारी	विनोद कुमार
22.	नन्दकिशोर	रायपुर गढ़ेवा उन्नाव	नन्दकिशोर
23	सुभाष चन्द्र मौर्या	चितौली उन्नाव	[illegible]
24.	बृजेश	थाना उन्नाव	बृजेश
25.	अनिल	जियाखेड़ा उन्नाव	अनिलकुमार
26.	अनिल कुमार सिंह	अमेठन गढ़ी उन्नाव	[illegible]
27.	हसीब	मनशागढ़ी शुक्लागंज	हसीब
28.	राहुल	जियाखेड़ा उन्नाव	राहुल
29	पंकज	रामनगर शुक्लागंज	पंकज
30	रामराज	कंचन नगर शुक्लागंज	रामराज
31	लखन शर्मा	रामनगर शुक्लागंज	लखन शर्मा
32	कादिर	सिंगरौसी उन्नाव	
33	उस्मान	39/13 सिरोसी उन्नाव	उस्मान
34	विजय	हाइवे गार्डन खेड़ा उन्नाव	विजय
35	छोटू	सिंगरौसी उन्नाव	
36	राजेश	गांधीनगर शुक्लागंज	राजेश
37	राधे श्याम	सिंगरौसी उन्नाव	राधेश्याम
38	मकसूद अली	सिंगरौसी उन्नाव	मकसूद अली
39	मशूक अली	सरैया मोड़, उन्नाव	मशूक अली
40	राजू	मगरवारा, उन्नाव	राजू

ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, ...व, उत्तर प्रदेश में 60 हाइड्स से 1000 हाइड्स प्रतिदिन के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल पर ...वरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति, लोक सुनवाई तिथि - 20-06-2014

...क सुनवाई स्थल-- *मेसर्स ए0के0आई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव के कैम्पस में।*

क्र0 सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
41	रोहित कुमार	मगरवारा, उन्नाव	रोहित कुमार
42	नीरज पाण्डेय	धोबी पुलिया, शुक्लागंज	नीरज
43	विनीत कुमार	बिन्दा नगर शुक्लागंज	विनीत
44	शम्मी	सिंगरौसी	
45	कल्लू	सिंगरौसी	
46	वकील अहमद	आदिश नगर उन्नाव	वकील
47	इदरीश अहमद	रहमत नगर उन्नाव	
48	मो. शाकिब	करवन रोड उन्नाव	
49	अख्तर खान	रहमत नगर शुक्लागंज	अख्तर खान
50	राजा	करवन मोड़ सिंगरौसी	राजा
51	फूलचन्द यादव	बन्दूहार उन्नाव	फूलचन्द यादव
52	असर्फीलाल	पण्डित खेड़ा उन्नाव	
53	नन्दन	पण्डित खेड़ा उन्नाव	नन्दन
54	अमृतलाल	शुक्लपुर उन्नाव	अमृतलाल
55	पिन्टू	सिंगरौसी उन्नाव	पिन्टू
56	करन	सिकन्दरपुर उन्नाव	करन
57	लवकुश	सैरैया मगरवार उन्नाव	
58	बाबूलाल	रामकियाखेड़ा उन्नाव	Babu Lal
59	सुशील	नपरेगाबाद उन्नाव	
60	राकेश कुमार	शुक्लागंज	राजेश

एo केo आईo इण्डिया प्राo लिo, 415/4, खसरा नंo 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, ...व, उत्तर प्रदेश में 60 हाइड्स से 1000 हाइड्स प्रतिदिन के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल पर ...वरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति, लोक सुनवाई तिथि - 20-06-2014
...ोक सुनवाई स्थल— *मेसर्स एo केo आईo इण्डिया प्राo लिo, 415/4, खसरा नंo 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव के कैम्पस में।*

क्रo संo	नाम	पता	हस्ताक्षर
61	गोविन्दप्रताप	सिंगरौसी	गोविन्द
62	अमित कुमार	सराय मसवासी	अमित कुमार
63	प्रदीप कुमार	सिंगरौसी	प्रदीप कुमार
64	कुंवरपाल सिंह	मंगरवारा उन्नाव	Kul
65	इमामुद्दीन	रहमत नगर नघरिया	
66	सुनील	सुबेदार खेड़ा उन्नाव	सुनील
67	संदीप कुमार	सुबेदार खेड़ा उन्नाव	संदीप कुमार
68	पंचम	" " "	
69	धनीराम	नवरंगाबाद उन्नाव	धनीराम
70	चन्द्रपाल	नवरंगाबाद करबन	
71	वीरेन्द्र कुमार	गांधीनगर उन्नाव	वीरेन्द्र कुमार
72	भगवानदास शर्मा	सिंगरौसी	भगवानदास
73	सन्तू	सुल्तानखेड़ा उन्नाव	सन्तू
74	रामनरेश	करोवन उन्नाव	रामनरेश
75	मोहित कुमार	सिकन्दरपुर उन्नाव	मोहित कुमार
76	रेहान	रहमतनगर उन्नाव	[illegible]
77	मतलुब आलम	सिंगरौसी	[illegible]
78	क़मर अली	सिंगरौसी	क़मर
79	कल्लू	कुन्दन मोड़ उन्नाव	
80	मुस्तफा	रहमतनगर	गु0 मुस्तफा

एओकेओआई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, [उन्ना]व, उत्तर प्रदेश में 60 हाइड्स से 1000 हाइड्स प्रतिदिन के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल पर [प]र्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति, लोक सुनवाई तिथि - 28-06-2014

[लो]क सुनवाई स्थल— *मेसर्स एओकेओआई0 इण्डिया प्रा0 लि0, 415/4, खसरा नं0 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, उन्नाव के कैम्पस में।*

क्र0 सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
81	सूर्यपाल	सिंगरौसी	सूर्यपाल
82	विनोद	छोटा चौराहा उन्नाव	
83	देवेश मिश्रा	गांधीनगर उन्नाव	देवेश
84	राजू	सिंगरौसी	
85	पवन शुक्ला	सरइयाफोड़ उन्नाव	पवन कुमार शुक्ला
86	अरविन्द	सिंगरौसी फाटक (उन्नाव)	अरविन्द
87	गुड्डू	मगरवारा थाना उन्नाव	
88	देवी लाल	कच्ची मड़ैया आदर्शनगर (उन्नाव)	देवी
89	पप्पू	किशनखेड़ा उन्नाव	पप्पू
90	महेन्द्र	सिंगरौसी	महेन्द्र
91	राजकुमार	सिंगरौसी	Raj kumar
92	बबलू	गांधीनगर शुक्लागंज	
93	महफूज	रहमतनगर उन्नाव	
94	दानिश	रहमतनगर उन्नाव	
95	मुजीब	सिंगरौसी उन्नाव	मुजीब
96	विनोद कुमार राठौर	सूबेदार खेड़ा सिंगरौसी	
97	विवेक गोस्वामी	लखनऊ	[illegible]
98	[illegible]	कानपुर	[illegible]
99	तालिब	कानपुर	[illegible]
100	संतोष पंथ	लखनऊ	[illegible]
101	अजय कपूर	उन्नाव	[illegible]

एफ०के०आई० इण्डिया प्रा० लि०, 415/4, खसरा नं० 729 व 1006, अकरमपुर, अन्दर नगर पालिका, ..., उत्तर प्रदेश में 80 हाइड्स से 1000 हाइड्स प्रतिदिन के विस्तारीकरण हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लोक सुनवाई की उपस्थिति, (लोक सुनवाई तिथि - 28-06-2014)
लोक सुनवाई स्थल- मेसर्स एफ०के०आई० इण्डिया प्रा० लि० 415/4, खसरा नं० 729 व 1006, अकरमपुर अन्दर नगर पालिका, उन्नाव के कैम्पस में।

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
102	ईश्वर	जाजमऊ कानपुर	
103	कौसामा [illegible] अनवर	जाजमऊ कानपुर	
104	अनवर कमाल इराकी	जाजमऊ कानपुर	
105	संदीप कुमार	लखनऊ	
106	कौशल किशोर खरे	" "	A.K. Khare
107	भरत कुमार	लखनऊ	Bhaskar
108	आमिर	कानपुर	
109	कैलाश [illegible]	[illegible]	
110	राज कुमार गुप्ता	पोनी रोड उन्नाव	राजकुमार (गुप्ता)
111	कल्लू	सिंगरौसी, उन्नाव	
112	राम नरायन	[illegible] उन्नाव	राम [illegible]
113	विनोद यादव	सिंगरौसी उन्नाव	विनोद
114	अनीस अली	सिंगरौसी उन्नाव	
115	उदय भान सिंह	करबला रोड, उन्नाव	उदयभानसिंह
116	धर्मेन्द्र कुमार	पोनी रोड उन्नाव	
117	[illegible]	अकबरपुर कानपुर	
118	शाहिद	सिंगरौसी उन्नाव	शाहिद
119	नौशाद	[illegible], उन्नाव	नौशाद
120	[illegible]	सिंगरौसी उन्नाव	
121	दीपू	पोनी रोड उन्नाव	
122	[illegible]	[illegible]	

S.NO.	PUBLIC HEARING POINTS	PUBLIC HEARING POINTS COMPLIANCE	FINANCIAL BUDGET
1.	Chairman presiding the committee asked the question that what will be provided in the form of medical facility.	Representative of Project proponent replied that at proposed site in case of emergency First Aid facility shall be provided. A room shall be provided separately with provision of bed and experienced doctor shall be provided. Periodic medical examination of the labours shall be done after every 3 months.	Rs. 1.5 lacs/year
2.	Chairman presiding the committee asked the question that for Environmental equilibrium what facilities shall be provided by the industry and how much percentage of the total area shall be allocated for green belt development?	Representative of Project proponent replied that for maintaining the environment equilibrium 33% of the total area shall be provided for green belt development. Species helping in environmental pollution reduction shall be proposed.	Rs. 10 lacs & Rs. 2.0 lacs/year for maintaining the same.
3.	Chairman presiding the committee asked the question that what facilities shall be provided by the industry to the nearby people.	Representative of Project proponent replied that employment shall be given to unemployed local people. Support in provision of vocational training centers for development of skills And education to enable permanent means of livelihood. Support in provision of opening of the schools & basic primary school infrastructure for Education of surrounding area children. Provision of health check up centre for old	Rs. 2.0 Lacs Rs. 3.0 Lacs Rs. 2.0 lacs

		people of nearby village.	
4.	Chairman presiding the committee asked the question that what provision shall be provided for training of the workers of the industry.	Representative of Project proponent replied that training through ISO personnel shall be provided to the workers of the industry.	Rs. 2.0 lacs
5.	Chairman presiding the committee asked the question that what provisions shall be provided for the abatement of the air pollution generated from the industry.	Representative of Project proponent replied that the major air pollutants released from the leather cluster are gases like VOCs, sulfides, ammonia, dust etc. released from various processes and NO_X, SO_2 and PM from DG Sets & Boiler. For mitigation of impacts of air pollution from the Boiler, Multi cyclone dust collector will be provided alng-with stack height of 32 m above ground Level and diameter of 22 inches. For mitigation of impacts of air pollution from D.G. sets, stack height of 4.5 m above roof level shall be provided and DG Sets Shall be bought Acoustic Enclosed to reduce the noise pollution.	Rs. 20.0 lacs & Rs. 3.0 Lacs/year
6.	Chairman presiding the committee asked the question that after how much time service/replacement of the Air Pollution Control Devices is provided?	Representative of Project proponent replied that for mitigation of impacts of air pollution from the Boiler, Multi cyclone dust collector will be provided and it shall be replaced after every 5 years and bag filters are replaced after every 3 years.	Rs. 20.0 lacs & Rs. 3.0 Lacs/year

7.	Chairman presiding the committee asked the question that what percent of the treated water shall be reused after providing the suitable treatment to the waste water generated from the industry.	Representative of Project proponent replied that 37.6 % of the total water requirement 309 KLD shall be met by treated water. The treated water shall be reused for Boiler, Gardening, Cooling, Process & wash & Misc. purposes & excess treated water of 225 KLD shall be disposed off in the drain of the area.	Rs. 100.0 lacs & Rs. 9.0 Lacs/year
8.	Mr. A.A. Khan, resident of Unnao, asked the question that what the purpose of conducting the public Hearing is?	Regional officer, Dr. Ram Karan of the Uttar Pradesh Pollution Control board, Unnao replied that As per the guidelines of the notification of MoEF, GOI vide letter no. SO-1533 dated 14th Sep. 2006; the industries lying outside the industrial area shall submit the proposal to State Pollution control Board for getting the Environmental clearance from MoEF.	----